Details of issues raised during afresh Public Hearing on 04.07.2014 at 11:00 AM for proposed Picking of stone, bajri and stone for stone crusher of M/s Dev Raj Stone Crusher Organized by H.P. State Pollution Control Board at village Mohkampur Nabada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour (H P).

No specific issues were raised against the project proponent for collection of sand, stone and bajri by working of the mining activity in the river bed by the local public, however, the people spoke during course of public hearing were satisfied with the working of the mining activities in the river bed as far as protection of environment, generating employment and up liftment of socio economic conditions by providing education etc. in addition to this the local public gave their views as below:

S.No.	Issues Raised	Remarks on the issues raised
1.	Mining of minor minerals is essentials for carring out developmental activities. As the river bed stones and sand is basic ingredients for construction of infructure development prject.	The management and public present in public hearing agreed to the proposal.
2.	The boulder stones sedements transported from hilly region during floods in the river resulted into increase in river bed level and causing damage to agriculture land.	The extraction of material as per the Mines and Mineral Rules shall be carried out in scientific manner.
3.	Local employment to youth by the mining activities directly or indirectly.	To provide employment to the local person is a part of the corporate social responsibility.
4.	To corporate social activities by providing assistance in the construction of Educational institutes and Temple etc.	The management informed that they are bound to participate in said activities under the mechanism of corporate social responsibility.
5.	To provide the material to the local people in concessional basis.	The management shows their willingness to provide the material in the concessional basis to the local residents
6.	Construction of Toilets and plantation in the mining area.	The management agreed that to preserve the environment by construction of toilets and growing of plants in mined areas apart from sprinkling of water in damage roads.

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
HIM PARIVESH, PHASE III, NEW SHIMLA-171009.

Public Notice

Public Hearing on the proposal of M/s Dev Raj Stone Crusher, Village & Post Office Mauza Mohakmpur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour,HP for the mining area measuring 114-14 Bighas (9.668 Hectares) at Village Mohakmpur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour,HP held on 12/03/2012 was chaired by the Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, Sirmour, HP. The Ministry of Environment & Forests, Govt. of India has observed that as per procedure prescribed, the Public Hearing has to be presided over by the District Magistrate or his representative not below the rank of Additional District Magistrate and has requested the State Board to conduct the Public Hearing afresh as per procedure prescribed. Accordingly Environmental Public Hearing related to the above proposal has been again arranged on 04/07/2014 at 11:00 AM at Village Nabada (Shivpur to Nabada Road), Paonta Sahib, Distt. Sirmour. Requisite documents on the proposal may be perused by the concerned stakeholders in the offices of (i) Director (Environment, S&T), Department of Environment, Science & Technology, Narayan Villa, Near Woodville Palace, Shimla H.P; (ii) District Magistrate, Nahan Distt. Sirmour, H.P.; (iii) Chairman, Zila Parishad, Nahan, Distt. Sirmour, H.P.; (iv) District Industries Centre, Nahan, Distt. Sirmour, H.P; (v) Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Sector- 31 A, Chandigarh; (vi) Regional Officer, H.P. State Pollution Control Board, Paonta Sahib, Distt. Sirmour, H.P; (vii) Headquarter of the H.P. State Pollution Control Board, "Him Parivesh" Phase-III, New Shimla-171009 during normal working hours.

Local affected persons and others having plausible stake in the environment impacts of the project are also invited to participate in the aforesaid public hearing. The traveling and incidental costs to attend the Public Hearing shall be borne by the participants themselves.

MEMBER SECRETARY

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
HIM PARIVESH, PHASE III, NEW SHIMLA-171009.

Public Notice

Public Hearing on the proposal of M/s Dev Raj Stone Crusher, Village & Post Office Mauza Mohakmpur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour,HP for the mining area measuring 114-14 Bighas (9.668 Hectares) at Village Mohakmpur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour,HP held on 12/03/2012 was chaired by the Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, Sirmour, HP. The Ministry of Environment & Forests, Govt. of India has observed that as per procedure prescribed, the Public Hearing has to be presided over by the District Magistrate or his representative not below the rank of Additional District Magistrate and has requested the State Board to conduct the Public Hearing afresh as per procedure prescribed. Accordingly Environmental Public Hearing related to the above proposal has been again arranged on 04/07/2014 at 11:00 AM at Village Nabada (Shivpur to Nabada Road), Paonta Sahib, Distt. Sirmour. Requisite documents on the proposal may be perused by the concerned stakeholders in the offices of (i) Director (Environment, S&T), Department of Environment, Science & Technology, Narayan Villa, Near Woodville Palace, Shimla H.P; (ii) District Magistrate, Nahan Distt. Sirmour, H.P.; (iii) Chairman, Zila Parishad, Nahan, Distt. Sirmour, H.P.; (iv) District Industries Centre, Nahan, Distt. Sirmour, H.P; (v) Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Sector- 31 A, Chandigarh; (vi) Regional Officer, H.P. State Pollution Control Board, Paonta Sahib, Distt. Sirmour, H.P; (vii) Headquarter of the H.P. State Pollution Control Board, "Him Parivesh" Phase-III, New Shimla-171009 during normal working hours.

Local affected persons and others having plausible stake in the environment impacts of the project are also invited to participate in the aforesaid public hearing. The traveling and incidental costs to attend the Public Hearing shall be borne by the participants themselves.

MEMBER SECRETARY

Registered

No.Peshi- II/24(9)/2012- Public Hearing- 9518
Office of the Deputy Commissioner, Sirmaur at Nahan.

Dated, Nahan the 21 August, 2014

To

The Member Secretary,
H.P.State Pollution Control Board,
Phase III, New Shimla, Himachal Pradesh.

Subject:- Public hearing of M/s Dev Raj Stone Crusher, Village & Post Office Mauza Mohakmpur Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, HP for the mining area measuring 114-14 Bighas (9.668 Hectares) to be conducted afresh.

Sir,

Please refer to your office vide letter No HPSPCB.(742)/M/s Dev Raj Stone Crusher, Paonta Sahib/Sirmaur/2014-4226-36 dated 02.06.2014 on the above cited subject.

In this regard, it is stated that the public hearing of M/S Dev Raj Stone Crusher was held at Village Nawada (Shivpur to Nawada Road), Paonta Sahib, District Sirmaur on 04.07.2014 under the chairmanship of the undersigned and the minutes along with CD of the same are enclosed herewith for favour of information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encls:- Minutes & CD

(Manmohan Sharma),
Addl. Deputy Commissioner.
Phone No. 01702-222410

आज दिनांक 04.07.2014 को माननीय श्री मनमोहन शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश, जिला सिरमौर, की अध्यक्षता में मैसर्स देवराज स्टोन क्रशर ग्राम मोहकमपुर नवादा तहसील पांवटा साहिब द्वारा अपनी मोहकमपुर नवादा मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 638/613/590/188/7 तादादी 09–668 हैक्टयर भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन की नये सिरे (Afresh) से करने प्रस्तावना बारे हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड पांवटा साहिब की सौजन्य से लोकजन सुनवाई का आयोजन ग्राम नवादा तहसील पांवटा साहिब में किया गया । जिसमें गठित समिति के सदस्य एंव सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो की सूची अनुबन्ध (क) पर है।

....

सर्व प्रथम हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता, श्री अविनाश कुमार शारदा द्वारा अध्यक्ष महोदय का जन सुनवाई हेतु स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति पर जन सुनवाई को प्रारम्भ किया गया । अधिशासी अभियनता ने बताया कि मैसर्स देवराज स्टोन क्रशर ग्राम मोहकमपुर नवादा तहसील पांवटा साहिब द्वारा अपनी माोहकमपुर नवादा मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 638 /613/590/188/7 तादादी 09–668 हैक्टयर भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन की नये सिरे (Afresh) से करने की प्रस्तावना के लिये अनुमति दी जानी प्रस्तावित है जिसके लिये पुनः लोक जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। उन्होने संग्रह/खनन उत्पादन से होने वाले प्रभावो के लिये लोगो से आपत्तियों तथा सुझावो को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखने का आह्वान किया तथा कहा कि कोई भी व्यक्ति उक्त लीज भूमि से खनन/संग्रह से किसी भी प्रकार की आपत्ति आशंकायें हो तो वे निर्भय होकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अध्यक्ष महोदय ने जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा खनन से होने वाले प्रभावों व सुझावों एंव आपत्तियों को यथा स्वरूप सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत करेगें तथा आह्वान किया कि वे बिना किसी भय से निर्भिक हो कर अपनी आपत्तियों व सुझाव जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कर सकते है। और प्रबन्धन को सुझाव दिया कि भविष्य मे जल एवं वायु प्रदूषण की गुणवता को नापने के समय स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी या स्थानीय गांव के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।

मैसर्स देवराज स्टोन क्रशर ग्राम मोहकमपुर नवादा तहसील पांवटा साहिब के प्रतिनिधि द्वारा अपनी मोहकमपुर मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 638 /613/590/188/7 तादादी 09–668 हैक्टयर भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन के लिये प्रस्तावित खनन के बारे विस्तार से विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत की तथा बताया किं खनन उत्पादन क्षमता 77500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है जिससे कोई पर्यावरण का नुकसान न होगा तथा अवगत कराया कि नदी के बहाव को बाधित किये बिना ही खनिजों का संग्रह/खनन किया जायेगा तथा ना ही कोई खनन के लिये विस्फोटक का इस्तेमाल किया जायेगा । उन्होनें स्पष्ट किया कि प्रस्तावित स्थल कोई भी जंगलाती भूमि शामिल नही है। तथा खनन कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरणो की ध्वनि अस्थाई होगी जिससे कोई वायु प्रर्दूषण न होगा उन्होने स्पष्ट किया कि खनन का कार्य पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही किया जायेगा तथा खनन का कार्य केवल दिन के समय ही किया जायेगा । इसके अतिरिक्त खनन के बाद सडक किनारे तथा नदी के आसपास क्षेत्र की भूमि पर व्यापक रूप से पौधारोपण किया गया जायेगा । उन्होने बताया कि खनन क्षेत्र में कोई आबादी व ग्राम इत्यादि न है जन सुनवाई के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूर्व में खनन द्वारा किये गये खनन कार्य से किसी भी प्रकार के नुकसान तथा उनके आचारण के बारे लोग अपने सुझाव निर्भय होकर प्रस्तुत कर सकते है उन्होनें प्रतिनिधी से जानकारी चाही कि प्रस्तावित स्थल पर किये जाने कार्यो की स्थानीय निकायों तथा लोगो से सत्यापन करवाया जाना चाहिये ताकि किये जाने वाले कार्यो की पारदर्शिता बनी रहे । तत्पश्चात निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपने सुझाव व आपतियां व्यक्त की:–

क. स.	नाम पता एंव विवरण	निवारण
1	श्री संजय सिंघल,चैयरमैन नगरपालिका पांवटा साहिब ने जन सुनवाई दौरान कहा कि विकासत्मक कार्यो के लिये खनिज पदार्थो की आवश्यकता बनी रहती है तथा नदी से इनका खनन का किया जाना उचित है उन्होनें गिरी नदी में प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने का समर्थन किया ।	सहमति जताई
2	श्री रमेश कुमार पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गोरखूवाला ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि पांवटा की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि पहाडों से निकलने वाला मलबा रेत बजरी इत्यादि नीचे समतल स्थान पर इकटठी हो जाती जिस कारण समतल स्थल के आसपास उपजाऊ भमि का नुकसान होता है उन्होनें वर्ष 1978 में आई बाढ का भी उदाहरण प्रस्तुत किया तथा कहा कि नदी से खनिज पदर्थो के खनन से नदी का बहाव समतल बना रहता तथा कृषि भूमि का कटाव भी नहीं होता है1 उन्होनें गिरी नदी से प्रस्तावित स्थल से खनन कार्य करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया।	सहमति जताई
3	कैप्टन जगत सिंह निवासी शिवपुर ने व्यक्त किया खनन कार्य से पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि नदी के बीच से खनिज पदार्थो के खनन से पानी का बहाव समतल बना रहता है तथा कृषि भूमि का भी नुकसान नहीं होता है उन्होनें खनन कार्य का समर्थन किया ।	सहमति जताई
4	श्रीरछपाल सिंह नि0 शिवपुर ने व्यक्त किया कि नदी मे मलबा रेत बजरी आने के कारण नदी का बहाव बदल जाने के कारण उपजाऊ भूमि का कटाव होता था लेकिन खनन कार्य होने से नदी का बहाव समतल रहता है तथा भूमि का कोई नुकसान नहीं होता है। उन्होनें खनन कार्य का समर्थन किया ।	सहमति जताई
5	श्री जसमेर सिंह सैनी नि0 नवादा ने कहा कि नदी से खनन कार्य होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि स्थानीय नौजबान लोगो को रोजगार भी मिला हुआ है उन्होनें खनन कार्य का समर्थन किया ।	सहमति जताई
6	श्री तौहिद नि0 मानपुर देवडा ने कहा कि उसकी अपनी भूमि भी नदी के किनारे है तथा नदी से खनन कार्य होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि स्थानीय लोगो का 80 % रोजगार कशरों के लिए किए जा रहे खनन कार्य से जुडा है तथा व्यक्त किया यदि खनन कार्य बन्द किया जाता है कि तो स्थानीय लोग बेरोजगार हो जायेंगे। उन्होनें खनन कार्य का समर्थन किया । उन्होनें यह भी कहा कि कशरों के मालिकों ने स्कूल एवं मन्दिर निर्माण के लिए समय समय पर सहयोग देते आ रहे है।	सहमति जताई
7	श्री कमलजीत सिंह उप प्रधान ग्राम पंचायत शिवपुर ने खनन कार्य का समर्थन करते हुये कहा कि खनन व्यवसाहियों को चाहिये कि स्थानीय पंचायतो तथा लोगो को कम रेट पर खनिज पदार्थ उपलब्ध करवायें ।	प्रबन्धन वर्ग ने आश्वासन दिया कि लीज भूमि पर लगे मजदूरों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को रोकने के पर्याप्त उपाय किये जायेगें तथा

अतिरिक्त उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन, हि०प्र०

	प्रदूषित न है। उन्होनें सुझाव दिया कि खनन के बाद खाली भूमि पर पौधारोपण भी किया जाये । उन्होनें खनन कार्य का समर्थन किया ।	भूमि पर पौधारोपण भी किया जायेगा1
8	श्रीमति बलविन्द्र कौर नि0 शिवपुर ने खनन कार्य का समर्थन करते हुये कहा कि इससे स्थानीय लोगो को रोजगार मिला हुआ है1	सहमति जताई
9	श्री श्याम लाल सैनी नि. नवादा ने कहा कि पांवटा की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि धोली खाला, सालवाला खाला और कांडों खाले से पानी के साथ निकलने वाला मलबा रेत बजरी इत्यादि गिरी नदी में मिलने से नदी का तल उंचा हो जाता है और आसपास उपजाऊ भूमि को नुकसान होता है उन्होनें वर्ष 1978 में आई बाढ का भी उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होनें व्यक्त किया कि खनन होने से नदी के पानी को निकलने का रास्ता मिल जाता है तथा उपजाऊ भूमि का नुकसान भी नहीं होता है। उन्होनें खनन कार्य करने का भरपूर का समर्थन किया	सहमति जताई
10	श्री कल्याण सिंह चौधरी नि0 नवादा ने खनन कार्य का समर्थन करते हुये बताया कि दो वर्ष पूर्व नदी में आई बाढ के कारण लोगो को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था खनिज पदार्थो के खनन से नदी का बहाव समतल रहेगा तथा नुकसान भी नही होगा उन्होनें खनन कार्य का समर्थन किया1	सहमति जताई
		प्रबन्धक वर्ग द्वारा माननीय अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर द्वारा उठाये गये मुद्दे के प्रतिउत्तर में आश्वासन देते हुये कहा कि भविष्य में खनिज पदार्थो के खनन के कार्य से सम्बन्धित विभाग तथा लोगो से सत्यापन करवाया जायेगा तथा उन्हें इस बारे में लिखित सूचना प्रदान की जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त खनन का कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जायेगा ताकि नदी का स्तर सामान्य बना रहे।

हि. प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री अविनाश कुमार शारदा ने जन सुनवाई मे पुनः आह्वान किया कि यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो जन सुनवाई के दौरान निःसकोंच बता सकता है। इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावो एंव आपत्तियों का सारांश पुनः दोहराते हुसे बताया कि मैसर्स देवराज स्टोन क्शर ग्राम मोहकमपुर नवादा तहसील पांवटा साहिब द्वारा अपनी मोहकमपुर नवादा मे स्थित लीज भूमि खसरा नम्बर 636/613/590/188/7 तादादी 09–668 हैक्टयर भूमि क्षेत्र में गिरी नदी से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन करने के पक्ष में लोगो सहमति व्यक्त की गई है इसके अतिरिक्त प्रबन्धन वर्ग द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावो पर अमल करने का आश्वासन दिया गया। कोई अन्य आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई को समाप्त करने अनुमति चाही ।

अति. उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हि0प्र0

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हि0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रक बोर्ड द्वारा श्रीयुत देव राज स्टोन कशर, मौजा मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब की इस प्रस्तावना के अनुमोदन से इस क्षेत्र के पर्यावरण पर क्या व कितना प्रभाव पडेगा तथा इस बारे इस क्षेत्र के जन साधारण की क्या राय व सुझाव हैं, जानने के लिए ही इस जन सुनवाई का आयोजन किया गया है । यह एक हर्ष का विषय है कि लोग पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक हुए हैं यद्यपि, पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभी ठोस प्रयास किये जाने अनिवार्य हैं । उन्होंने कहा कि इस जन सुनवाई में विभिन्न वक्ताओं ने जो विचार एवं सुझाव व्यक्त किये हैं उनमें खनन क्षेत्र में श्रमिकों के लिए उचित शौचालय की व्यवस्था करना तथा इस क्षेत्र में व्यापक विक्षारोपण करके उनका समय–2 पर पोषण करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसके बारे में श्रीयुत देव राज स्टोन कशर के प्रवर्तकों को खनन कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व ही कार्यवाही करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि खनन उद्योग को मात्र स्थानीय रोजगार व अल्पकालिक लाभों के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि पर्यावरण के व्यापक संरक्षण के उद्देश्य से परखा जाना चाहिए । उन्होंने सचेत किया कि इस खनन इकाई का प्रबन्धन अवैध व अवैज्ञानिक तरीके से कोई कार्यवाही न करें । उन्होंने कहा कि विकास के लिए पर्यावरण संतुलन को बनाये रखना चाहिए व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आने वाली पीढियों को कोई नुकसान ना हो ।

अन्त मे अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुए जन सुनवाई सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष
अतिरिक्त उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन, हि0प्र0

अनुबन्ध (क)

Attendance sheet for Conducting of Public hearing afresh of M/s Dev Raj Stone Crusher Village & Post Office Mohakumpur Navada, Tehsil Paonta Sahib Distt Sirmour H.P dated 04.07.2014 at 11:00 AM (at Shivpur to Navada Road Village Navada)

Sr. No	Name & address	Designation	Signature
1.			
2.	Shrawan Manta	SDO(C) Paonta Sahib	[signature]
3.	[illegible] Bhardwaj	Mining Officer Sirmour at Nahan (HP)	[signature]
4.	"		
5.			
6.	R.S. Chandel	Executive Engineer PWD Paonta	[signature]
7.			
8.	Rajender Tanwar	[illegible] Panchayat	[signature]
9.	[illegible]	TV 100 [illegible]	[signature]
10.	Dinesh Pundir Patwari	Divya Himachal	[signature]
11.	Kundan Singh (K.R.C)	Shivpur	[signature]
12.	SANJAY SINGHAL	[illegible] Paonta Sahib	[signature]
13.	Pramod Sharma	Sec. Vyapar Mandal Paonta	[signature]
14.	Madan Mohan Sharma	President Crusher Association Paonta	[signature]
15.	Mahesh Sharma	A.E. HPPWD Paonta	[signature]
16.	A.S. Chauhan	Assistant Engineer PWD Paonta	[signature]
17.	Ramesh Kumar	V. Pradhan Gorkhuwala	[signature]
18.	[illegible]	Canu[illegible]	[signature]
19.	Rajpal Singh	[illegible]	[signature]
20.	Jasmer Saini	[illegible]	[signature]
21.	Dev Raj	Farmer	[signature]
22.	Islam Ali	[illegible]	[signature]

23	Suresh Saini	Ward Member	S. Saini
24	Rasalchand	Farmer	Saini
25	Sunil Sharma	Farmer	SK Sharma
26	Kamaljeet Singh	Up Pradhan G. P. Shivpur	KJS
27	Mam Raj Saini	Kisan	Mam Raj Saini
28	Jaipal Singh	Kisan	Jaipal
29	Geeta Rani	[illegible]	[illegible]
30	Dr. Abhijeet Vats	M.O. I/C PHC Kundion	[illegible]
31	सुरजीत सिंह	[illegible]	[illegible]
32	गुरुमलसिंह	[illegible]	गुरुमलसिंह
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	Santosh Kumar	Begar	Santosh
35	Ravinder Singh	Farmer	Ravinder
36	गुरमेल सिंह	[illegible]	गुरमेल सिंह
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	Harish Kumar	Ex Pradhan Mamada	[illegible]
40	Sandeep Sharma	[illegible]	[illegible]
41	IMRAN KHAN	Business	Imran
42	[illegible]	[illegible]	
43	Sant Ram	[illegible]	Sant Ram
44	Safak	[illegible]	[illegible]
45	Rahul	[illegible]	[illegible]
46	Alam [illegible]	[illegible]	[illegible]
47	इशरतअली	[illegible]	इशरतअली
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]

49	केसर राम	मजदूरी	केसर राम
50	रामकिशोर	मजदूरी	रामकिशोर
51	Kam/Dum[illegible]	मजदूरी	Kam/[illegible]
52	Rupa	मजदूरी	रूपा
53	[illegible]	मजदूरी	[illegible]
54	Pardeep Moudgil	Asstt. Engr. HPSEB, Kala Amb	[illegible]
55	Rakesh Bhandari	JE IPH [illegible]	[illegible]
56	Vikram Singh	Asstt [illegible]	[illegible]
57	Shyam Lal Ex PDL	Aggriclture	[illegible]
58	Arshad Choudhary	मजदूर	[illegible]
59	Brij Pal	मजदूरी	Brij Pal
60	Ravinder Kumar	मजदूरी	[illegible]
61	Sanjeev K[illegible]	Business	[illegible]
62	[illegible] Bhandari	[illegible]	[illegible]
63	Sanjeev Kumar	मजदूरी	[illegible]
64	Ramesh Chand	मजदूरी	[illegible]
65	Dalbir Singh Shivpur	Agriclture	[illegible]
66	[illegible]	मजदूरी	[illegible]
67	[illegible] सिंह	मजदूरी	[illegible] सिंह
68	Karan Singh		[illegible]
69	Devi Nagar		
70	Narender Kumar	[illegible]	Kaushal
71	Amar Singh Tha	Rampur Ghat	[illegible]
72	Ramjeet Goyal	Rampur Deara	Ramjeet
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]

75	Kalyan Singh Chaudhary	Saruwala	[signature]
76	S. Prakash Singh	Haripur Tohana	[signature]
77	S. Jagat Singh	Shivpur	[signature]
78	[illegible]	[illegible]	[signature]
79	[illegible]	[illegible]	[signature]
80	Vijay Kumar	Gorkhpur Kumar	[signature]
81	Krishan	Shahpur	[signature]
82	Ram Prakash	Manpur Deora	[signature]
83	Mushan Ali	Manpur Deora	Mushan Ali
84	Narendra Singh	Manpur Deora	[signature]
85	[illegible]	[illegible]	[signature]
86	[illegible]	[illegible]	[signature]
87	Tohid	Manpur Deora	[signature]
88	Shub Ram F.R.	R.D. Paonta	[signature]
89	ASHISH SHARMA	SHIVALIK SOLID WASTE MANAGEMENT ENVIRO	[signature]
90	Shivani Datt	Assistant Project Associate Shivalik Solid waste mgmt	[signature]
91	Md Qasir Ahmed	Shivalik Solid ..	[signature]
92	Daksha Gupta	SSWML	[signature]
93	Dinesh Thakur	Jamuna	[signature]
94	Anil Sharma	Rampur Ghat	[signature]
95	G. P. Singh	"	[signature]
96	B. P. Bhatt	"	[signature]
97	Harsh Goyal	[illegible]	[signature]
98	S. R. SHARMA	Sr. Asstt. PCB, Paonta	[signature]
99	[illegible] Singh	R.O. CPCB D..	[signature]
100	Er. Pawan Sharma	JR. Env. Engineer, PCB Paonta	[signature]